

नाथु @ पारस राम
वी.

राजस्थान राज्य

31 अक्टूबर, 2006

(एस. बी. सिन्हा और दलवीर भंडारी, जे.जे.)

उच्चतम न्यायालय नियम, 1964:

आदेश 21, नियम 8-जेल याचिकाएं-न्यायालय में शीघ्र सूचीकरण

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार अपील संख्या - 1004/2006

एस. बी. अपराधिक जेल अपील संख्या 244/1999 और एस. बी. अपराधिक अपील क्रमांक 270/1999 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 5.10.2001 से अपीलार्थी की ओर से शंकर दिवते।

आदेश

दिनांक 26.9.2006 निबंधक न्यायिक का प्रतिवेदन का अवलोकन किया। दिनांक 10.6.2006 को विशेष अनुमति याचिका दाखिल किया गया था जो नाथु @ पारस राम ने भेजा था, जो हिरासत में है। उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया निर्णय की प्रति को उसके द्वारा भेजा गया। जबकि अभिलेख 4.9.2006 को प्रस्तुत किया गया था।

उपर्युक्त आधार पर एक जांच आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। निबंधक (न्यायिक) ने अपने रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ कहा कि कार्यालय ने नीचे की अदालतों से अभिलेख मंगवाये जिसके कारण देरी हुई।

इस संबंध में हमारा ध्यान उच्चतम न्यायालय के आदेश XXI नियम 8 की ओर आकर्षित किया गया जिसका प्रासंगिक भाग निम्नलिखित शर्तों में है।

8(1) “यदि याचिकाकर्ता जेल में है और अभिलेख पर किसी वकील द्वारा उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है तो वह निर्णय की प्रमाणित प्रति और किसी भी लिखित तर्क/बहस के साथ अपील करने की विशेष अनुमति के लिये अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है जिसे वह अधिकारी के समक्ष रखना चाहता है, जेल का प्रभारी, जो इसे तुरन्त इस न्यायालय के निबंधक को अग्रसित करेगा। उक्त याचिका प्राप्त होने पर, न्यायालय के निबंधक, जब भी आवश्यक हो, न्यायालय के उचित अधिकारी से या जिस न्यायाधीकरण से अपील की गई है। अपील की विशेष अनुमति के लिये याचिका के निर्धारण के लिये प्रासंगिक दस्तावेज की मांग करेगा।

(2) जैसे ही सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होंगे, निबंधक, न्यायमित्र के एक पैनल से एक अधिवक्ता की नियुक्ति करेगा और उसके बाद याचिका और सम्पूर्ण दस्तावेजों की सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष रखेगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिवक्ता का शुल्क प्रवेश चरण तक 250/- और अपील की सुनवाई के लिए एकमुश्त राशि 500/- से अधिक नहीं होगी। जैसा कि अपील की सुनवाई करने वाली पीठ द्वारा तय किया जा सकता है, और मामले की सुनवाई करने वाली पीठ लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों के आधार पर 750/- से अधिक नहीं की एकमुश्त राशि के भुगतान को मंजूरी दे सकती है।

इस न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों को कैदी के मौलिक अधिकार के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। एक कैदी जब जेल से कोई याचिका या अपील भेजता है तो इस अदालत को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अदालत मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक

विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए उसकी सजा को निलंबित कर सकती है या जमानत के लिए प्रार्थना को स्वीकृत कर सकती है। प्रत्येक याचिका के साथ उच्च न्यायालय के फैसले की एक प्रति संलग्न होती है जो कैदियों को निःशुल्क प्रदान की जाती है इसलिए, ये उचित प्रतीत नहीं होता है कि प्रत्येक मामले में जब मामला चल रहा हो, रजिस्ट्री के सामने रखे जाने पर, अभिलेख मंगवाया जाएगा और जब वे स्थानीय भाषा में होंगे तब उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा।

नियम निःसंदेह निबंधक को दस्तावेज मंगवाने की अनुमति देता है लेकिन ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब आवश्यक पाया जाए, अन्यथा नहीं। इस प्रकार, मामले के अभिलेख को यांत्रिक तरीके से नहीं मंगाया जाना चाहिए।

हम, इसलिए निर्देश देते हैं कि जब विशेष अनुमति याचिकाएं जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से फैसले की प्रमाणित प्रति के साथ अग्रेसर की जाती है, तो उसे तत्काल न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए। मामले की पहली लिस्टिंग में देरी नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक एक कार्यालय नोट पर रखा जाना चाहिए कि अभिलेखों की अनुवादित प्रति नहीं भेजी गयी है और यदि अभिलेख मंगाने का निर्देश दिया जाता है, तो उसका अनुवाद करना आवश्यक है। ऐसा केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए, जहां अभिलेख मंगाने की आवश्यकता हो, अन्यथा यह न्यायालय की आदेश की प्रतीक्षा कर सकता है। न्यायालय रजिस्ट्री को भविष्य में इस आदेश के अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हैं।

अपील सुनवाई हेतु लंबित है।

(गौतम गोबिन्दा)

गौतम गोबिन्दा

अवर न्यायाधीश द्वितीय सह

भू-अर्जन न्यायाधीश,

व्यवहार न्यायालय, रांची।